

OFFICE OF THE COMMISSIONER, COLLEGE EDUCATION,  
RAJASTHAN, JAIPUR

ACADEMIC SESSION 2021-22

(FOR EXISTING COLLEGE)

SUBMIT THE HARDCOPY OF APPLICATION FORM WITH ALL REQUIRED DOCUMENTS TO NODAL OFFICER WITHIN 3 DAYS OF LOCKING THE APPLICATION FORM.  
NODAL COLLEGE NAME: GOVT. SC. COMM. COLLEGE, DAUSA, NODAL OFFICER NAME: DR. BAJRANG LAL MEENA, CONTACT NUMBER: 9414321687अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु पूर्व संचालित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत  
किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची

क्र.सं.	विवरण
1.	समिति / ट्रस्ट का पंजीयन प्रमाण पत्र, समिति के विधान की प्रति।
2.	परिशिष्ट-6 में प्रबन्ध समिति की सूची(निर्वाचन तिथि सहित)
3.	प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण की प्रति एवं गत वर्ष जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति, (यदि नवीन विषय/संकाय लिया हो तो अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति)।
4.	स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।
5.	समिति के नाम भूमि के दस्तावेज, पट्टा,
6.	भूमि का नक्शा ट्रेस
7.	सम्पूर्ण भूमि का रूपान्तरण आदेश।
8.	भूमि का वर्गमीटर में माप का सक्षम अधिकारी(तहसीलदार अथवा वरिष्ठ अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-13)
9.	समिति का प्रस्ताव जिसमें महाविद्यालय के लिये उक्त भूमि को चिन्हित किया गया हो।
10.	पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार करवाकर सक्षम अधिकारी(सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा प्रमाणित भवन का नक्शा (ब्लू प्रिन्ट) जिसमें खसरा नं. व पूर्ण पता लिखा हो। जिसे निरीक्षण अधिकारी द्वारा भी प्रमाणित किया गया हो।
11.	स्वयं की भूमि पर ही भवन स्थित होने का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-13)।
12.	नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र
13.	महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ की यूजीसी द्वारा निर्धारित अर्हता से संबंधित दस्तावेज एवं विवरण।
14.	महाविद्यालय में कार्यरत अशैक्षणिक स्टाफ का विवरण।
15.	मानदण्डानुसार एफ.डी.आर. (एफ.डी.आर. महाविद्यालय एवं संयुक्त निदेशक(नि.सं.) के संयुक्त नाम से होना आवश्यक है।
16.	यदि महाविद्यालय पिछड़ा/आरक्षित विधान सभा क्षेत्र में स्थित है तो सक्षम प्राधिकारी का नवीनतम प्रमाण पत्र।
17.	निरीक्षण अधिकारी से प्रमाणित नवीनतम छायाचित्र- भूमि, भवन, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, कक्षा-कक्ष, शौचालय एवं क्रीड़ा कक्ष, खेल मैदान, पेयजल।
18.	यदि महाविद्यालय का महिला शिक्षा से सहशिक्षा में परिवर्तन का प्रकरण है तो प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव की प्रति एवं 25 प्रतिशत अभिभावकों के सहमति पत्र की प्रति तथा मापदण्डानुसार भूमि, भवन, एफडीआर के दस्तावेज।
19.	यदि महाविद्यालय का नाम परिवर्तन का प्रकरण है तो प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव की प्रति।
20.	यदि महाविद्यालय का स्थान परिवर्तन का प्रकरण है तो प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव की प्रति एवं नवीनतम भूमि के पंजीकृत दस्तावेजों व रूपान्तरण आदेश की प्रति एवं सक्षम अधिकारी व निरीक्षण अधिकारी द्वारा नवीन भवन का प्रमाणित ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करें।
21.	यदि महाविद्यालय का प्रबन्ध अन्तरण का प्रकरण है तो परिशिष्ट-8, प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव की प्रति व समस्त आवश्यक दस्तावेजों-भूमि, भवन, रूपान्तरण, नवीन ब्लूप्रिंट आदि।
22.	निर्धारित शुल्क की रसीद
23.	यदि विधि महाविद्यालय हो तो बार कॉन्सिल ऑफ इण्डिया (BCI) से सम्बद्धता पत्र की प्रति।
24.	परिशिष्ट-16
25.	भूमि एवं भवन का गूगल-मेप व महाविद्यालय की संचालित वेबसाइट का निरीक्षण अधिकारी का प्रमाण पत्र एवं पता।
26.	स्टाफ का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने का गत छः माह का प्रमाण।
27.	विश्वविद्यालय से संचालित विषय/संकाय हेतु प्राप्त अद्यतन संबद्धता आदेश की प्रति।
28.	स्टाफ की भविष्य निधि(पी.एफ.) कटौती एवं ESI कटौती के दस्तावेज(केवल स्थायी अनापत्ति हेतु)।
29.	गत सत्रों का परीक्षा परिणाम।
30.	संचालित विषयों हेतु पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों का विवरण।
31.	गत सत्र का AISHE सर्वे को अपलोड करने का ऑनलाइन जनरेटेड प्रमाण पत्र।
32.	विद्यार्थियों से लिये जा रहे शुल्क का विवरण।

## DECLARATION

ALL THE ABOVE INFORMATION PROVIDED BY ME IS TRUE AND OTHERWISE I ACCEPT TO WITHDRAW MY APPLICATION.

SIGNATURE WITH DATE  
(PRESIDENT/SECRETARY OF MANAGEMENT COMMITTEE)